

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 118/14  
 संस्थापन दिनांक:-20/02/14  
 फाईलिंग नं. 233504004252014

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. सम्भाराव पिता केमू देशमुख,  
उम्र 55 वर्ष,
2. नामदेव पिता सम्भाराव देशमुख  
उम्र 30 वर्ष, निवासी जम्बाड़ा,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 19.09.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 07.02.2014 को शाम 06:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम जम्बाड़ा स्थित प्रार्थिया का खेत लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी मनु देशमुख को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी मनु देशमुख की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मनु देशमुख को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण एवं फरियादी एक परिवार के हैं।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 07.02.2014 उसके खेत पर गयी थी। उसके खेत की मेड़ को अभियुक्त संभाराव ने नागर किया था जिस पर उसने अभियुक्त से कहा कि उसके खेत की मेड़ को नगरी क्यों किया तो इसी बात पर से अभियुक्त संभाराव एवं नामदेव ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर हाथ मुक्के से मारपीट किया जिससे उसके बांये

हाथ की भुजा, पैर व सिर में अंदरूनी चोटें आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 121/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी मनु देशमुख को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी मनु देशमुख की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मनु देशमुख को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क्र. 01 एवं 03 का निराकरण**

6 मनुबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने मेड़ खोदने की बात पर से उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। इंद्रकला (अ.सा.-5) ने भी मनु (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण उसकी मां मनु को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे थे।

7 साक्षी मनुबाई (अ.सा.-1) एवं इंद्रकला (अ.सा.-5) ने यद्यपि

अभियुक्तगण द्वारा गालियां दी जाना बताया है परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8 मनुबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जाना प्रकट किया है। इंद्रकला (अ.सा.-5) ने उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

9 मनुबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण सम्भाराव एवं नामदेव ने उसके खेत की मेड़ खोद दी थी तो उसने अभियुक्तगण से यह कहा कि मेरी मेड़ क्यों खोद दी है इसी बात पर से अभियुक्तगण ने उसके साथ हाथ थप्पड़ एवं लकड़ी से मारपीट किये जिससे उसके सिर, बांये हाथ एवं शरीर के अन्य जगह चोटें आयी थी। इंद्रकला (अ.सा.-5) ने साक्षी मनु (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी मां मनु के साथ हाथ मुक्के से मारपीट की थी जिससे मनु के बांये हाथ एवं शरीर के अन्य हिस्से में चोटें आयी थी।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-6) ने दिनांक 08.02.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत मनु का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर के पीछे तरफ 1 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव होना तथा आहत को आयी चोट साधारण प्रकृति की एवं कड़ी व बोथरी वस्तु से आना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-8) पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

11 बिसनसिंह (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 08.02.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी मनुबाई द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराये जाने पर अपराध क्र. 121/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) लेख किया जाना तथा दिनांक 09.02.2014 को घटना स्थल जाकर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं अभियुक्तगण को

गिरफ्तार कर प्रदर्श प्री-5 एवं प्रदर्श प्री-6 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त सभी दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किये हैं।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षी इंद्रकला हितबद्ध साक्षी है। ऐसी दशा में मात्र फरियादी के कथनों पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में सुनील (अ.सा.-3) तथा जियालाल (अ.सा.-4) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। जियालाल (अ.सा.-4) ने गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य इन साक्षियों की साक्ष्य में प्रकट नहीं हुए हैं।

14 महादेव (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के दिन शाम के समय फरियादी मनुबाई (अ.सा.-1) उसके घर पर आयी थी और उसे बताया था कि हमारा खेत में झगड़ा हुआ है। उक्त साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि फरियादी मनु ने मारपीट के संबंध में कोई बात नहीं बतायी थी और उसने मनुबाई को समझाया था कि लड़ाई मत करो। उक्त साक्षी अनुश्रुत साक्षी है तथा इसके कथनों से यह तो प्रकट होता है कि घटना दिनांक को फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य विवाद हुआ था।

15 सुनील (अ.सा.-3) एवं जियालाल (अ.सा.-4) स्वतंत्र साक्षीगण हैं जिन्होंने अभियोजन कथा का समर्थन ही किया है परंतु सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष या विपक्ष में गवाही देने से बचता है। साथ ही अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही परिवार के हैं, तब ऐसी स्थिति में किसी के पारिवारिक मामलों में दखल दिये जाने से भी बाहरी लोग बचते हैं। अतः उक्त साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किया जाना अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। मात्र इनके समर्थन न किये जाने से अभियोजन के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

16 मनुबाई (अ.सा.-1) ने अभियुक्तगण द्वारा हाथ थप्पड़ एवं लकड़ी से मारपीट किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 4 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि मेड़ को लेकर विवाद होता रहता है। साथ ही यह भी सही बताया है कि मेड़ एक ही होने के कारण विवाद होते रहते हैं। इसी पैरा में बचाव के द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि केवल मेड़ को लेकर

ही विवाद है, दूसरा कोई विवाद नहीं है जिस पर उक्त साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण मेड़ को लेकर बार-बार झगड़ा करते हैं। पैरा क. 5 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसने मेड़ खोदने की पुलिस को रिपोर्ट की थी। स्वतः में साक्षी ने यह कहा है कि उसकी जमीन भी खोद लिया था और मारा ठोका भी था। इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना दिनांक को उसके साथ मारपीट नहीं हुई थी। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि मारपीट किया था और खींचातानी भी किया था।

17 इंद्रकला (अ.सा.-5) ने साक्षी मनुबाई (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी मां के साथ हाथ मुक्के से मारपीट किये थे जिससे उसकी मां को बांये हाथ एवं शरीर के अन्य हिस्से में चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि वह घटना के समय घर पर थी। पैरा क. 3 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्तगण के साथ तू-तू मे-मे हुई थी परंतु साथ ही इसी पैरा में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी मां के साथ मारपीट नहीं की थी।

18 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्तगण ने फरियादी मनुबाई को हाथ मुक्के से मारपीट किया जिससे उसके बांये हाथ, पैर, सिर में अंदरूनी चोटें आयी थी तथा बीच बचाव उसकी बेटी इंद्रकला (अ.सा.-5) ने किया था। मनुबाई (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा अनुरूप ही न्यायालय में कथन किये हैं। घटना दिनांक 07.02.2014 की शाम 6 बजे की है। घटना की रिपोर्ट दिनांक 08.02.2014 को 12:45 बजे की गयी। विलंब का कारण रात्रि होने एवं साधन न मिलना प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) में लेख है। घटना स्थल से थाने की दूरी 10 किलोमीटर है। मनु (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा अनुसार ही न्यायालय में कथन किये हैं तथा उसके द्वारा रिपोर्ट लेख कराये जाते समय हाथ, पैर, सिर में अंदरूनी चोट आना बताया गया था। चिकित्सक साक्षी ने भी उसके परीक्षण में सिर में छोटा सा फटा हुआ घाव पाया था। ऐसी स्थिति में साक्षी की साक्ष्य चिकित्सक साक्षी से समर्थित है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट लेख कराये जाने में विलंब अभियोजन कथा के लिए घातक नहीं है। मनु (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन इंद्रकला (अ.सा.-5) ने भी किया है। उक्त दोनों ही साक्षी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर हैं। यद्यपि साक्षी मनुबाई एवं इंद्रकला ने पूर्व से विवाद होते रहना स्वीकार किया है परंतु जहां मारपीट के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो वहां पर बचाव को रंजिश से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्तगण सम्भाराव एवं नामदेव ने फरियादी मनुबाई (अ.सा.-1) की हाथ मुक्के से मारपीट किया। मनुबाई (अ.सा.-1) ने इसी अनुरूप न्यायालय में अपने कथन प्रकट किये हैं। अभियुक्तगण का घटना के समय मौके पर उपस्थित रहना, एक साथ दोनों के द्वारा फरियादी/आहत

मनुबाई की मारपीट की जाना उनके सामान्य आशय को दर्शित करता है। अतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मनुबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी।

20 अभियुक्तगण के द्वारा एकदम से आकर फरियादी मनुबाई (अ.सा. -1) के साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया जाना, उनके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण**

21 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मनु देशमुख को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मनु देशमुख की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मनु देशमुख को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण सम्भाराव एवं नामदवे को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34 भा. द.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

22 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

**नोट:-** दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

**पुनश्च :-**

23 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए

0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय निर्मित कर मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

24 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय निर्मित कर फरियादी को मारपीट कर उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

25 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही परिवार के लोग हैं एवं घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/-500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15-15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

26 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत मनुबाई बेवा दशरथ देशमुख, निवासी जम्बाड़ा, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान की जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

27 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

28 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

